न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 59/2018

RCMS Sace No. 2018/00351

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1 बाबुलाल उर्फ हरीराम पुत्र रामरतन जाति ब्राहम्ण निवासी सेवगों का बास, नारलाई हाल बाबुलाल शर्मा, मकान नम्बर 431/13, नडेशन कॉलोनी सेलम 7, तमिलनाडू		1 पवन कुमार पुत्र बाबुलाल जाति ब्राहम्ण निवासी नाणा तहसील बाली हाल लखिमपुर खिरी जिला खिरी, उत्तर प्रदेश 2 ग्राम पंचायत नाणा जरिये सरपंच नाणा तहसील बाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :–

1. श्री श्याम पंचारिया, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री धर्मेन्द्र व्यास, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1

–: निर्णय :–

दिनांक 29.11.2018

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के ग्राम पंचायत नाणा द्वारा मिसल संख्या 58/2004–2005 में पारित प्रस्ताव संख्या 05 दिनांक 22.09.2004 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 27 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि जैर निगरानी विवादित भूमि पर मथुराबाई का मकान निर्मित है। मथुराबाई के कोई जायन्दा पुत्र नहीं था, उनके एकमात्र पुत्री गवरीदेवी थी, जो प्रार्थी की माता थी। अप्रार्थी द्वारा विधि विरूद्ध रूप से उक्त भूमि का स्वयं के नाम से पट्टा जारी करवा दिया, जबकि अप्रार्थी का डक्त भूमि से किसी प्रकार का सरोकार नहीं है। बाबुलाल पुत्र भुराराम ने अपने पुत्र पवन कुमार को मथुराबाई का फर्जी पुत्र बताते हुए मथुराबाई की सम्पति हडपने की नियत से ग्राम पंचायत नाणा के समक्ष उनके मकान का पट्टा बनाने हेतु आवेदन पेश किया, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी मिसल कायम की गई। मिसल में जिस चन्दनमल के बयान दर्ज किए गए है, उसकी मृत्यु ही 20 वर्ष पूर्व हो चुकी थी, तो उसके बयान दर्ज किया जाना सम्भव ही नहीं था। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, उसमें कोई पडौस का क्षेत्रफल दर्ज नहीं है। मौका निरीक्षण रिपोर्ट जो प्रस्तुत हुई है, वह पूर्णतः दिखावटी है, जो किस दिनांक को

अति॰ जिला कलेक्टर, पाली

तैयार की गई, कहीं भी अंकन नहीं है। ग्राम सेवक द्वारा प्रकरण में कोई नक्शा तैयार ही नहीं किया गया तथा न ही पंचों द्वारा उक्त मकान के पवन कुमार के पुश्तैनी होने की ताईद की। पंचायत द्वारा जो आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया, वह किस स्थान पर किन व्यक्तियों के समक्ष चस्पा किया गया, इसका कोई अंकन नहीं है। गवाहों ने भी बनावटी रूप से बयान दर्ज करवाए है, इसके अतिरिक्त जिस व्यक्ति के बयान दर्ज करना अंकित किया गया है, उसकी मृत्यु ही 20 वर्ष पूर्व हो चुकी थी, इस कारण उसके बयान दर्ज किया जाना असम्भव था। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही ग्राम पंचायत से मिलावट करते हुए की गई है, जो विधि विरूद्ध हैं। पवन कुमार न तो उस गांव का निवासी है एवं न ही ऐसा कोई दस्तावेज प्राप्त हुआ है, जो पवन कुमार को उस गांव का निवासी होने की ताईद करता हो। पवन कुमार द्वारा स्वयं को गोदीपुत्र बताया है, जबकि गोदीपुत्र होने बाबत न तो कोई दस्तावेज है एवं न ही कोई साक्ष्य। इसके अतिरिक्त गोदीपुत्र है अथवा नहीं ? इस तथ्य का निर्धारण न्यायालय हाजा द्वारा नहीं किया जाकर सिविल न्यायालय द्वारा किया जावेगा। ग्राम पंचायत द्वारा विधि विरूद्ध रूप से कार्यवाही करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः निगरानी स्वीकार करावें एवं जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी पवन कुमार, ताराचन्द को गोदीपुत्र है, जिसने ताराचन्द एवं मथुराबाई की सेवा सुश्रुषा की है तथा बतौर पुत्र वह मथुराबाई के शामिल ही निवास करता था। ताराचन्द का गोदीपुत्र होने की हैसियत से ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत प्रक्रिया की पालना करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि सम्मत है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी के पुत्र राकेश कुमार द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक पाली को परिवाद प्रस्तुत किया गया था, जिस पर पुलिस द्वारा जांच एवं अनुसंधान किया गया, उसमें भी अप्रार्थी को मथुराबाई का गोदीपुत्र होना बताया एवं जैर निगरानी विवादित आराजी पर अप्रार्थी का कब्जा होना एवं बतौर गोदीपुत्र पवन कुमार के मथुराबाई के साथ निवास करना जाहिर किया। गवाहों ने यह भी स्वीकार किया कि मथुराबाई के अन्तिम क्रियाक्रम आदि भी बतौर गोदीपुत्र पवन कुमार ने ही किया था। इस कारण अप्रार्थी द्वारा बतौर गोदीपुत्र प्रकरण में विवादित आराजी का पट्टा बनाने का निवेदन किया, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः निगरानी खारिज़ करावें।

बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन किया। जैर निगरानी मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि अप्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष अपने पुश्तैनी मकान का पट्टा बनाने का निवेदन किया। उक्त आवेदन पत्र में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपनी वल्दियत में अपने पिता का नाम ताराचन्द शर्मा होना अंकित किया। उक्त आवेदन पत्र पर दिनांक 05.06.2004 को मिसल कायम कर सचिव को नक्शा तैयार करने एवं तीन पंचों को

अति॰ जिला कलेक्टर, पाली

मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश पारित किए। मिसल के संलग्न ग्राम सेवक द्वारा किसी प्रकार का नक्शा तैयार किया जाना प्रकट नहीं होता है। उक्त आदेश की पालना में तीन पंचों द्वारा मौका निरीक्षण कर दिनांक 05.07.2004 को रिपोर्ट ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत की, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 05.07.2004 को एक माह का आपत्ति इश्तिहार जारी करने के आदेश पारित किए। उक्त आदेश की पालना में जो आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया, वह दो व्यक्तियों के रूबरू चस्पा किया जाना अंकित है। इसके पश्चात निर्धारित समयावधि तक किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण दिनांक 05.08.2004 को पुश्तैनी कब्जे के समर्थन में गवाह पेश करने के आदेश पारित किए। उक्त आदेश की पालना में बाबूलाल पुत्र भूराराम व चन्दनमल पुत्र प्रतापचन्द द्वारा अपने बयान कलमबद्ध करवाए, जिसमें गवाहों ने मकान पर अप्रार्थी संख्या 1 का रहवासी मकान होना बताया। इस पर ग्राम पंचायत द्वारा 22.09.2004 को नियम 157 (ख) के तहत जैर निगरानी आज्ञा पारित की गई, जिसमें पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम पट्टा जारी किया गया है।

प्रार्थी द्वारा अपनी निगरानी का मुख्य आधार यह लिया गया है कि पवन कुमार मथुरादेवी का गोदी पुत्र नहीं है, जिसने विधि विरूद्ध रूप से गोदीपुत्र होना बताते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी करवाया है। गोदीपुत्र सम्बन्धी तथ्य के निर्धारण के अधिकार न्यायालय हाजा को नहीं होकर एकमात्र रूप से सिविल न्यायालय को ही यह अधिकार प्राप्त है। प्रार्थी द्वारा इस सम्बन्ध में जिला पुलिस अधीक्षक, पाली के समक्ष परिवाद भी प्रस्तुत किया है, जिसमें थानाधिकारी, पुलिस थाना नाणा द्वारा जो जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, उसमें दौराने अनुसंधान जो गवाहों के बयान कलमबद्ध किए गए है एवं जो जांच की गई है, उसमें पवन कुमार को मथुरादेवी का गोदीपुत्र होना गवाहों द्वारा तस्दीक करते हुए जैर निगरानी विवादित आराजी पर अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा होना स्वीकार किया गया है। हालांकि जैर निगरानी मिसल में ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव द्वारा नक्शा तैयार किया जाना प्रमाणित नहीं होता है। उक्त जिम्मेदारी पंचायत सचिव की थी, जो उनके द्वारा नहीं निभाई गई है। इस सम्बन्ध में डी0एन0जे0 (राज) 1999 पेज 459 हेमराज व अन्य बनाम लक्ष्मीनारायण व अन्य में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त की प्रति प्रस्तुत की, जिसमें अभिनिर्धारित किया कि "न्यायालय के पीठासीन अधिकारी एवं न्यायालय के अधिकारीयों की त्रुटी के लिये पक्षकार पीड़ित नही होना चाहिये।" हस्तगत प्रकरण में उक्त न्यायिक सिद्धान्त पूर्णतः चस्पा होता है। प्रकरण में ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव की गलती का खामियाजा अप्रार्थी संख्या 1 को नहीं भुगताया जा सकता है। चूंकि मिसल में जो कार्यवाही हुई है, उसमें जैर निगरानी विवादित आराजी पर अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा होना गवाहों द्वारा स्वीकार किया गया है, जिसे किसी भी रूप में नकारा नहीं जा सकता है। तद्नुसार ग्राम पंचायत द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की आधारभूत त्रुटी प्रतीत नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज़ की जाती है तथा ग्राम पंचायत नाणा द्वारा मिसल संख्या

अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली

58/2004–2005 में पारित प्रस्ताव संख्या 05 दिनांक 22.09.2004 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 27 की पुष्टि की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 29.11.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर, पाली